हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(अनुभाग–ई)

संख्या जीएडी–ई–डी(6)–1/2021 तारीख शिमला–171002 21/05/2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम.– इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 है।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो,–

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ग) "प्रमाण–पत्र" से, जेल या पुलिस थाना में निरूद्ध रहने का प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है।

(2) शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

3. सम्मान राशि की रकम और सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता.– (1) लोकतन्त्र प्रहरी को सम्मानित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि और सम्मान राशि को प्राप्त करने के लिए निरूद्ध रहने की उपयुक्त अवधि ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए:

परन्तु यदि लोकतन्त्र प्रहरी के निरूद्ध रहने की अवधि से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है या अपर्याप्त है तो वह किन्हीं दो लोकतन्त्र प्रहरियों, जिनके

अपने अभिलेख हैं, द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित विहित प्ररूप–1 में प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(2) मृतक लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी सम्मान राशि की समस्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे:

परन्तु उसे लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर प्ररूप–2 में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव को आवेदन करना होगा, यदि लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् हुई है। यदि लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी दो मास की विहित समय सीमा के पश्चात् आवेदन करते हैं तो उसे सम्मान राशि नियम 5 के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से संदत्त की जाएगी:

परन्तु यदि लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु हो चुकी है और उसे सम्मान राशि स्वीकृत नहीं की गई थी तो लोकतन्त्र प्रहरी के पति या पत्नी को प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार को आवेदन करना होगा।

(3) कोई भी लोकतन्त्र प्रहरी जो उपरोक्त नियम 3(1) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्मान राशि की तुलना में अन्य राज्यों से कम सम्मान राशि/पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह ऐसी विनिर्दिष्ट सम्मान राशि की अन्तर रकम को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करना.– आवेदक सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए समस्त विशिष्टियाँ को विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप–3 में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव को आवेदन करेगा। वह प्ररूप–4 में अपेक्षित ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

5. सम्मान राशि की सिफारिश/स्वीकृत करने की प्रक्रिया.– (1) निम्नलिखित समिति सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात् आवेदक की पात्रता या अपात्रता के बारे में सिफारिश करेगी:–

1. श्री सुरेश भारद्वाज — अध्यक्ष;
   माननीय शहरी विकास मन्त्री,
   हिमाचल प्रदेश

2. श्री प्रवीण शर्मा — सदस्य;
   भूतपूर्व मन्त्री,
   हिमाचल प्रदेश

3. श्री विजय सिंह कंवर, — सदस्य;
   गाँव लोअर बढेड़ा,
   डाकघर बढेड़ा, तहसील हरोली,
   जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

4. श्री सुनील मनोचा — सदस्य; और
   कोतवाली बाजार, धर्मशाला,
   जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

5. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), — सदस्य–सचिव ।
   हिमाचल प्रदेश सरकार।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति किसी आवेदन को स्वप्रेरणा से स्वीकार कर सकेगी और इसे सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए संस्तुत कर सकेगी। समिति सम्मान राशि से सम्बन्धित किसी भी रूप रेखा को तैयार करने के लिए सक्षम होगी।

(3) समिति की सिफारिश के पश्चात् स्वीकृत सम्मान राशि समिति की सिफारिश की तारीख से संदेय होगी।

(4) समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्मान राशि को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का आदेश प्रशासनिक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा।

6. सम्मान राशि का संदाय.– (1) सम्मान राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/हिमाचल प्रदेश राज्य के सहकारी बैंक के माध्यम से संदेय होगी जिसके लिए

हिताधिकारी को आधार आधारित बैंक खाता खोलना होगा और इसका ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को विहित प्ररूप पर देना होगा।

(2) सरकारी पेंशनधारकों को लागू ट्रेजरी कोड और नियमों के उपबन्ध यथा अपेक्षित आवश्यक परिवर्तनों सहित सम्मान राशि के प्राप्तकर्ताओं को भी लागू होंगे।

(3) सम्मान राशि के हिताधिकारी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में सामान्य प्रशासन विभाग को सम्बद्ध पंचायत प्रधान/तहसीलदार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित जीवन प्रमाण--पत्र (लाईफ सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा। जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में हिताधिकारी की सम्मान राशि बिना किसी सूचना के रोक दी जाएगी।

(4) यदि सम्मान राशि प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु हो जाती है तो हिताधिकारी के कुटुम्ब/विधिक वारिसों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग को इस सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ–साथ सूचना देना और मृतक हिताधिकारी को प्रदान की गई अधिक सम्मान राशि को एकमुश्त राज्य सरकार को लौटाना अनिवार्य होगा।

(5) इसके मद्दे व्यय मुख्य शीर्ष 2235– सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60– अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम, 200–अन्य कार्यक्रम, 27–हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि राज्य स्कीम "अन्य प्रभार" (गैर–योजना) से किया जाएगा।

7. कपटपूर्वक प्राप्त सम्मान राशि का रद्दकरण/वसूली.– यदि कोई व्यक्ति सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए पात्रता न होने के बाबजूद भी मिथ्या सूचना या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर सम्मान राशि प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे व्यक्ति की सम्मान राशि रद्द कर दी जाएगी और पूर्व में प्राप्त की गई सम्मान राशि उसके द्वारा एकमुश्त राज्य सरकार को निक्षिप्त/वापस की जाएगी। यदि सम्मान राशि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा निक्षिप्त/वापस नहीं की जाती है तो उससे ऐसी राशि

भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या जीएडी–ई–डी(6)–1/2021 तारीख शिमला–171002 21/05/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।
2. प्रधान सचिव (मुख्य मन्त्री), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 ।
4. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. उप सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 27–04–2022 की मद संख्या 21 के संदर्भ में।
7. अवर सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–05 को ई–राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।

उप सचिव (सामान्य प्रशासन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्ररूप–1
(नियम 3 देखें)

लोकतन्त्र प्रहरी द्वारा निरूद्ध रहने की अवधि को प्रमाणित किए जाने वाला प्रमाण–पत्र

मैं, ..., आयु ...., पुत्र/पत्नी श्री ...., गांव ...., डाकखाना ...., तहसील ...., जिला .... हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ और मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या .... तारीख .... (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा लोकतन्त्र प्रहरी के रूप में घोषित किया गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमति .... आयु .... सपुत्र/पत्नी श्री .... गांव .... डाकखाना .... तहसील .... जिला .... राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एम.आई.एस.ए/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. के अधीन .... कारागार/पुलिस थाना में .... से .... तक मेरे साथ निरूद्ध रहा है/रही है। उक्त कारागार/पुलिस थाना में निरूद्ध रहने से सम्बन्धित मेरा प्रमाण पत्र संलग्न है।

यदि उपरोक्त सूचना किसी भी समय पर गलत पाई जाती है तो राज्य सरकार के पास दोनों (आवेदक और प्रमाणकर्त्ता) की लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि को तुरन्त बन्द करने का अधिकार होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर) (प्रमाणकर्त्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप–2
(नियम 3 देखें)

लोकतन्त्र प्रहरी की सम्मान राशि को उसके पति/उसकी पत्नी को अन्तरित करने के लिए आवेदन का प्ररूप

नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. आवेदक का नाम और आयु ....
2. स्थाई पता ....

   ....
3. पति–पत्नी का नाम ....
4. लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु की तारीख ....
   (मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए)
5. पत्र संख्या एवं तारीख जिसके द्वारा आवेदक के पति–पत्नी को लोकतन्त्र प्रहरी के रूप में घोषित किया गया है .... (पत्र की प्रति संलग्न की जाए)
6. आवेदक का व्यवसाय ....
7. क्या आवेदक लोकतन्त्र प्रहरी के एकमात्र पति, एकल पत्नी है ....
   (सम्बद्ध पंचायत प्रधान/तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)
8. राष्ट्रीयकृत बैंक/राज्य सहकारी बैंक का नाम और आई.एफ.एस कोड सहित आधार से लिंक खाता संख्या (बैंक पासबुक की पहले पृष्ठ की प्रति संलग्न की जाए) ....
   ....
   ....

तारीखः ....

स्थानः ....

दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर .... (आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप–3

(नियम 4 देखें)

लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि को स्वीकृत करने के लिए आवेदन का प्ररूप।

नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. आवेदक का नाम ....
(लोकतन्त्र प्रहरी के रूप में घोषित किए जाने वाले)

(क) आवेदक का नाम ....
(यदि लोकतन्त्र प्रहरी के रूप में घोषित किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है)

(ख) लोकतन्त्र प्रहरी के रूप में घोषित किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की तारीख ....
(मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए)

2. आवेदक के जन्म की तारीख ....

3. पिता / पति–पत्नी का नाम ....

4. आवेदक का व्यवसाय और मासिक आय ....

5. स्थाई पता: ....

....

6. पत्राचार पता: ....

....

7. एम.आई.एस.ए. / डी.आई.आर / सी.आर.पी.सी के अधीन निरूद्ध रहने का स्थान और अवधि (प्रारम्भ और रिहाई की तारीख सहित धाराओं को वर्णित किया जाए और सम्बद्ध कारागार अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए): ....

....

8. एफ.आई.आर. नम्बर और धाराएं जिनके अन्तर्गत व्यक्ति को कारागार/पुलिस थाना में निरूद्ध किया गया था: ....

9. सम्मान राशि/पेंशन के ब्यौरे, यदि आवेदक किसी अन्य राज्य से एम.आई.एस.ए./डी.आई.आर./सीआर.पी.सी. के अधीन सम्मान राशि/पेंशन प्राप्त कर रहा है (इस बाबत एक शपथ पत्र सम्पूर्ण ब्यौरे सहित संलग्न किया जाए): ....
....

10. निरूद्ध रहने की अवधि के अभिलेख की अप्राप्यता की दशा में, प्ररूप–1 पर दो सह–बन्दी (लोकतन्त्र प्रहरी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ....
....

11. राष्ट्रीयकृत बैंक/राज्य सहकारी बैंक का नाम, आई.एफ.एस कोड सहित आधार से लिंक खाता संख्या (बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति संलग्न की जाए):
....

तारीखः ....

स्थानः ....

दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर .... (आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररूप–4
(नियम 4 देखें)

शपथ पत्र में अन्तःस्थापित की जाने वाली विशिष्टियों का प्ररूप

मैं ...., सपुत्र / पत्नी ...., आयु ...., गांव ...., डाकखाना ...., जिला ...., राज्य .... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और निम्नलिखित शपथ लेता हूँ:–

1. कि मैं किसी अन्य राज्य से एम.आई.एस.ए. / डी.आई.आर. / सी आर.पी.सी के अधीन सम्मान राशि / पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ / प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।

2. कि सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए मेरे द्वारा प्ररूप–3 में दी गई सूचना सही और सत्य है।

3. कि यदि किसी भी समय राज्य सरकार के नोटिस में यह आता है कि मेरे द्वारा सम्मान राशि मिथ्या सूचना या मिथ्या दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत करवा दी गई है तो राज्य सरकार को मासिक सम्मान राशि को रोकने / बन्द करने और मुझे पूर्व में संदत्त की गई सम्पूर्ण सम्मान राशि को भू राजस्व के बकाया के रूप में बसूल करने का अधिकार भी होगा।

अभिसाक्षी

(Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-E-D(6)-1/2021 dated 21.05.2022 as required under clause (3) of the article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
General Administration Department
(Section-E)
****

NO. GAD-E-D(6)-1/2021, Dated: Shimla-171002, 21/05/,2022.

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021 (Act No. 5 of 2021), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act, namely:–

1. Short title.– These rules may be called the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Rules, 2022.

2. Definition.– (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Act, 2021;

(b) "Form" means the Form appended to these rules; and

(c) "Certificate" means the Certificate of detention in jail or in police station.

(2) words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act:

3. Amount of Samman Rashi and eligibility for receiving Samman Rashi.– (1) The Samman Rashi awarded to honour the Loktantra Prahri and the eligible period of detention for receiving the Samman Rashi shall be such as may be notified by the State Government.

Provided that in case, the record relating to detention period of the Loktantra Prahri is not available or is incomplete, then he will be eligible to receive Samman Rashi after production of certificate on the prescribed *form-I* duly verified by any two Loktantra Prahris, who have their own record.

(2) The spouse of the deceased Loktantra Prahri will be eligible to receive full amount of samman rashi:

Provided that he/she will have to apply in *FORM-II* to the Administrative Secretary in the General Administration Department within two months from the date of death of the Loktantra Prahri if the Loktantra Prahri has died after the commencement of Act. In case, the spouse of the Loktantra Prahri apply after the prescribed time limit of two months, then, the samman rashi will be payable to him/her from the date of recommendation made by the Committee constituted under rule 5:

Provided that in case, the Loktantra Prahri had been deceased and samman rashi was not sanctioned to him/her, then, the spouse of the deceased Loktantra Prahri shall have to apply to the Administrative Secretary (General Administration Department) Government of Himachal Pradesh.

(3) Any Loktantra Prahri, who is receiving less Samman Rashi/ pension from other States in comparison to the Samman Rashi specified under rule 3(1) supra, shall be eligible to receive the difference amount of such specified Samman Rashi.

4. **Submission of application.–** The applicant shall apply to the Administrative Secretary in the General Administration Department in *FORM-III* specifying all particulars to sanction the samman rashi. He/she will also furnish an affidavit on FORM-IV specifying therein the requisite details.

5. **Procedure of recommendation/sanctioning samman rashi.–** (1) The following Committee will recommend about eligibility or non-eligibility of the applicant after scrutinizing the applications received for sanctioning samman rashi:-

1. Shri Suresh Bhardwaj, – Chairperson
   Hon'ble Urban Development Minister,
   Himachal Pr..desh.

2. Shri Praveen Sharma, – Member
   Ex-Minister, Himachal Pradesh.

3. Shri Vijay Singh Kanwar, – Member
   Village Lower Badheda,
   Post Office Badheda, Tehsil Haroli,
   District Una, Himachal Pradesh.

4. Shri Suneel Manocha, – Member
Kotwali Bazaar, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh.

5. Secretary (GAD) to the – Member Secretary
Government of Himachal Pradesh.

(2) The Committee specified under sub-rule(1) supra, may suo-motu accept any application and recommend same for samman rashi. The Committee shall also be competent to devise any modality regarding samman rashi.

(3) The samman rashi sanctioned after the recommendation of the Committee will be payable from the date of recommendation of the Committee.

(4) On the basis of Committee's recommendation, the sanction or rejection order of samman rashi shall be issued by the Administrative Secretary, General Administration Department, Government of Himachal Pradesh.

6. **Payment of Samman Rashi.**– (1) The samman rashi shall be payable through any nationalized bank/co-operative bank of the State of Himachal Pradesh for which the beneficiary will have to open the Aadhar based bank account and to provide its detail on the prescribed form to the General Administration Department.

(2) The provisions of treasury code and rules applicable on the Government pensioners shall also be applicable on the recipients of samman rashi with necessary changes as required.

(3) The beneficiary of samman rashi will have to submit the life certificate duly attested by the concerned Panchayat Pradhan/ Tehsildar in the month of April in each year to the General Administration Department. In case of non-submission of the life certificate, the samman rashi of the beneficiary will be stopped without any intimation.

(4) In case of the death of samman rashi recipient, it will be mandatory for the family/legal heir of the beneficiary to give intimation to the General Administration Department alongwith a copy of death certificate in this regard and to return the excess samaan rashi granted to the deceased beneficiary in lump-sum to the State Government.

(5) The expenditure on this account will be debited to the Major Head 2235- Social Security and Welfare, 60- other social security and welfare programmes, 200-other programmes, 27- Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman Rashi State Scheme "other charges" (Non-Plan).

7. **Cancellation/recovery of samman rashi obtained fraudulanty.–** If any person receives the samman rashi on the basis of false information or documents despite not having the eligibility for receiving samman rashi, then in such a situation, the samman rashi of such person will be cancelled and samman rashi received in the past shall be deposited/returned in lump-sum to the State Government by him. In case, the samman rashi is not deposited/ returned by the concerned person, then the same will be recoverable from him as arrears of land revenue.

By order,

Principal Secretary (GAD) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. GAD-E-D(6)-1/2021, Dated: Shimla-171002, 21/05/ ,2022.
Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
3. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-02.
4. The Special Private Secretary to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
5. The DLR-cum-Deputy Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.
6. The Deputy Secretary (GAD) to the Government of Himachal w.r.t. item No. 21 of the Cabinet Meeting dated 27-04-2022.
7. The Under Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printing and Stationery Department, H.P. Shimla-05 for publication in e-Rajpatra.

Deputy Secretary (~~GAD~~) to the
Government of Himachal Pradesh.

FORM-I
(see rule 3)

CERTIFICATE OF DETENTION PERIOD TO BE CERTIFIED BY THE LOKTANTRA PRAHRI

I, ..., age ...., s/o/w/o Shri ...., village ...., post office ...., tehsil ...., district ...., am a bonafide resident of Himachal Pradesh and I have been declared as Loktantra Prahri by the Government of Himachal Pradesh vide letter No. .... dated .... (copy enclosed).

I certify that Sh./Smt. ...., age ...., s/o/w/o Sh. ...., village ...., post office ...., tehsil ...., district .... remained with me w.e.f. .... to .... in .... jail/police station under M.I.S.A./D.I.R./Cr.P.C. for political or social reasons. My certificate regarding detention in the said jail/police station is enclosed.

If the above information is found incorrect at any time, then, the State Government shall have the right to stop the Loktantra Prahri Samman Rashi of the both (applicant and certifier) forthwith.

(signature of applicant) (signature of certifier)

FORM-II
(see rule 3)

FORM OF APPLICATION FOR TRANSFERRING THE SAMMAN RASHI OF LOKTANTRA PRAHRI TO HIS/HER SPOUSE

Space for recent coloured passport size photograph

1. Name of the applicant and age: ....

2. Permanent address: ....

....

....

3. Name of the spouse ....

4. Date of death of the Loktantra Prahri .... (copy of death certificate be enclosed)

5. Letter No. & date vide which the spouse of applicant had been declared as Loktantra Prahri: .... (copy of letter be enclosed).

6. Occupation of the applicant: ....

7. Is the applicant sole spouse of the Loktantra Prahri: .... (certificate of concerned Panchayat Pradhan/ Tehsildar be attached)

8. Name of the nationalized bank/State Co-op. Bank and Account No. linked with Aadhar including IFS Code (copy of first page of bank passbook be enclosed):

....

....

Date: ....

Place: ....

Tel. No./Mob. No. ....

(Signature of applicant)

FORM-II
(see rule 3)

FORM OF APPLICATION FOR TRANSFERRING THE SAMMAN RASHI OF LOKTANTRA PRAHRI TO HIS/HER SPOUSE

Space for recent coloured passport size photograph

1. Name of the applicant and age: ....

2. Permanent address: ....

....

....

3. Name of the spouse ....

4. Date of death of the Loktantra Prahri .... (copy of death certificate be enclosed)

5. Letter No. & date vide which the spouse of applicant had been declared as Loktantra Prahri: .... (copy of letter be enclosed).

6. Occupation of the applicant: ....

7. Is the applicant sole spouse of the Loktantra Prahri: .... (certificate of concerned Panchayat Pradhan/ Tehsildar be attached)

8. Name of the nationalized bank/State Co-op. Bank and Account No. linked with Aadhar including IFS Code (copy of first page of bank passbook be enclosed):

....

....

Date: ....

Place: ....

Tel. No./Mob. No. ....   (Signature of applicant)

FORM-III
(see rule 4)

FORM OF APPLICATION FOR SANCTIONING OF THE LOKTANTRA PRAHRI SAMMAN RASHI

Space for recent coloured passport size photograph

1. Name of the applicant: ....
(to be declared as Loktantra Prahri)

   (a) Name of the applicant: ....
   (in case the person, to be declared as Loktantra Prahri, has died)

   (b) Date of death of person to be declared as Loktantra Prahri:

   .... (copy of death certificate be attached)

2. Date of birth of the applicant: ....

3. Name of the father/spouse ....

4. Occupation and monthly income of the applicant: ....

5. Permanent address: ....

....

6. Correspondence address: ....

....

7. Place and period of detention under the MISA/DIR/Cr.P.C. (Date of commencement and release alongwith sections be mentioned and certificate issued by concerned Superintendent of Jail or Superintendent of Police be enclosed):

....

8. F.I.R. No. and Sections under which the person had been detained in jail/police station: ....

9. Detail of samman rashi/pension, in case the applicant is receiving samman rashi/pension under MISA/DIR/Cr.PC from any other State (an affidavit in this regard with complete detail be attached): ………………………………………

……………………………………………………………………………………………

10. In case of non-availability of detention period's record, certificate issued by two co-prisoners (Loktantra Prahri) on form-1 be attached: …………………

11. Name of the nationalized bank/State Co-op. Bank and Account No. linked with Aadhar including IFS Code (copy of first page of bank passbook be enclosed):

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Date: ……………………

Place: ……………………

Tel. No./Mob. No. ……………………… (Signature of applicant)

FORM-IV
(see rule 4)

FORM OF PARTICULARS TO BE INSERTED IN THE AFFIDAVIT

I, ..., S/O/W/O ...., aged ...., Village ...., Post Office ...., District ...., State .... do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That I have been/have not been receiving samman rashi/pension under M.I.S.A./D.I.R./Cr.P.C. from any other State.

2. That the information given by me in the form-III for sanctioning the samman rashi is correct and true.

3. That if it comes to the notice of the State Government at any time that the samman rashi has been got sanctioned by me on the basis of false information or document, then the State Government shall have the right to withheld/stop the monthly samman rashi and also to recover the whole amount of samman rashi paid to me in the past as arrears of land revenue.

Deponent